नियमावली

Scanned by CamScanner

संशो० दिनांक 26/7/18
No. 798
30/7/18

नियमावली (संशोधित)

1) संस्था का नाम : सहयोगी मित्र मंडल, थनौद, दुर्ग होगा ।

2) संस्था का कार्यालय : ओम परिसर, थनौद, तहसील – दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ0ग0) पिन–491001

प्रशासनीक कार्यालय : सुमित्रा निवास, संतोषी दरबार, गंजपारा, दुर्ग (छ0ग0)

3) संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ होगा ।

पंजीयन क्रमांक 3137
पंजीयन दिनांक 14/5/96
संशोधन दिनांक 26/7/18

4) **संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:–**

(1) शिक्षा का प्रसार एवं प्रचार करना ।

(2) ग्रामीण अंचल की विद्यालयों में निःशुल्क सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं, वादविवाद प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिताएं, चित्रकला प्रतियोगिताएं, विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ–साथ अन्य नैतिक गुणों का विकास हो सके ।

(3) ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों व निर्धन छात्रों को सहयोग कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना ।

(4) बोर्ड परिक्षाओं में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना ।

(5) ग्रामीण खेलकूद के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु विकासखण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिताएँ आयोजित करना और इस तरह के प्रतियोगिताओं के लिए उत्कृष्ठ खिलाड़ी तैयार करना, खेल विकास हेतु पायका योजना में सक्रिय भागीदारी देना ।

(6) ग्राम स्तर पर खेलकूद के विकास हेतु सुविधाएँ जुटाना एवं परम्परागत संस्कृति को सुरक्षित रखने हेतु कार्यक्रमों गतिविधियों का संचालन करना एवं मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करना ।

(7) जिले के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त ब्लाक स्तरीय/जिला स्तरीय विभिन्न खेल संघों व संगठनों से सहयोग प्राप्त करना व खेल के आयोजन में सहयोग देना ।

(8) ग्रामीण खेलकूद प्रतिभाओं को उच्च स्तर तक पहंचाने के लिये यथा संभव सहयोग प्रदान करना एवं उचित मार्ग दर्शन हेतु उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

(9) समाज की कमजोर एवं निर्धन वर्ग के लोगों के उत्थान हेतु कार्य करना ।

(10) सामाजिक बुराईयाँ जैसे–दहेज, छुआछूत, नशीली वस्तुओं के सेवन आदि के विरूद्ध युवा वर्ग में चेतना जागृत करना ।

Sushma

Scanned by CamScanner

(11) सामाजिक कुरूतियों में सुधार करने के लिये सामूहिक विवाह एवं दहेज रहित विवाह, विधवा विवाह आदि को प्रोत्साहित देना ।

(12) स्वयं सेवी कार्यो के माध्यम से युवा वर्ग का विकास करना ।

(13) जिले के अन्तर्गत ग्रामों के युवा वर्ग के कल्याण हेतु युवाओं/युवतियों को संगठित एवं सक्रिय करना ।

(14) राष्ट्र निर्माण की दिशा में युवकों को सक्रिय योगदान हेतु प्रेरित करना ।

(15) ग्रामीण समस्याओं के निराकरण हेतु स्थानीय प्रशासन को सहयोग प्रदान कर विकास कार्यो को सफल बनाना ।

(16) जन जागरूकता एवं मनोरजंन के अन्तर्गत लोककला एवं विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति जिससे ग्रामीण कलाकारों को मंच प्रदान किया जा सके ।

(17) सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु अंचल के विद्यालयों में विविध सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित करना ।

(18) शासन द्वारा चलाये जा रहे जनकल्याणकारी योजनाओं में भागीदारी लेकर योजना को सफल बनाना ।

(19) जीव जन्तु के संरक्षण, संवर्धन एवं कल्याण के क्षेत्र में कार्य करना इस हेतु गोशाला व शरणगृह का संचालन, [redacted] प्रदर्शन कर जन जागरण अभियान चलाना, शिक्षण, प्रशिक्षण, करूणा क्लबों का संचालन, आवश्यक शोध, समग्र चिकित्सा सुविधा का प्रबंध करना, गोबर, गौ मूत्र से जैविक खाद, कीटनाशक दवाई निर्माण ।

(20) ग्रामीण संसाधनों के आधार पर विज्ञान एवं तकनीकी द्वारा कृषि, जैविक कृषि, औषधी एवं सुगंधित पौधों की खेती, पशु पालन तथा वनों से संबंधित [redacted] के क्षेत्र में कार्य करना ।

(21) समाज कल्याण, नशा मुक्ति, वृद्ध कल्याण, निशक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्य करना इस हेतु नशामुक्ति केन्द्र, परामर्श केन्द्र, वृद्धाश्रम, बहुसेवा केन्द्र, बहु निशक्त कल्याण विद्यालय का संचालन करना ।

(22) समाज के प्रत्येक वर्ग के स्वालम्बन हेतु कार्य करना तथा विकास की प्रक्रिया में स्व–सहायता के माध्यम से भागीदारी सुनिश्चित कराना ।

(23) दलित कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण,आदिवासी अनुसूचित जनजाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण एवं अल्प संख्यक कल्याण के क्षेत्र में कार्य करना ।

Scanned by CamScanner

(24) सामाजिक मूल्यबोध गतिविधियों, बालश्रम उन्मूलन, उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, हस्तकला, खादी एवं ग्रामोद्योग तथा आजीविका के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करना ।

(25) स्वशासन, पंचायतीराज सशक्तिकरण,नगर निकाय सशक्तिकरण व गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में सक्रिय कार्य करना ।

(26) महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यकरना इस हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन, सेवा प्रदाता के रूप में कार्य, पूरक पोषण आहार, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य गतिविधियों में भागीदारी देना ।

(27) सामाजिक एवं वैज्ञानिक पहुलू से संबंधित शोध एवं अनुसंधान कार्य में भागीदारी प्रदान करना ।

(28) लोक निर्माण कार्य, सामुदायिक सामग्री निर्माण, ग्रामीण विकास एवं नगरीय विकास के क्षेत्र में सक्रिय एवं रचनात्मक कार्य करना ।

(29) शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु कार्य करना इस हेतु शैक्षिक गतिविधियों में विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण विद्यालय, शिक्षा महाविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा, संगीत शिक्षा, जन शिक्षण संस्थान, योग शिक्षा संस्थान, वयस्क शिक्षा संस्थान की स्थापना एवं संचालन करना ।

(30) साहित्य विकास के क्षेत्र में कार्य करना ।

(31) शैक्षिक विकास हेतु पाठ्य पुस्तकों एवं पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन करना ।

(32) व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., बी.एस.डब्लू, एम.एस.डब्लू शिक्षा प्रदान करना ।

(33) तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत कम्प्यूटर, इन्फारमेशन टेक्नालॉजी एम.सी.ए, बी.बी.ए. का संचालन एवं प्रबंधन ।

(34) स्कील डेव्लपमेंट मिशन के अंतर्गत, क्षमता वृद्धि एवं कौशल विकास हेतु विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना ।

(35) सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (मिलेनियम डेव्लपमेंट गोल) की प्राप्ति हेतु सक्रिय भागीदारी देना ।

(36) पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में सक्रिय कार्य करना ।

(37) आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत जल, जंगल एवं जमीन के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के क्षेत्र में कार्य करना ।

Sushma

Scanned by CamScanner

(38) गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने हेतु कार्य करना ।

(39) सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करना इस हेतु ग्रामीण सूचना प्रौद्योगिकी युवा विकास केन्द्र, युवा विकास केन्द्र, सूचना केन्द्र, पुस्तकालय की स्थापना एवं संचालन करना ।

(40) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कार्य में सक्रिय भागीदारी देना ।

(41) जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार तथा दक्षता निर्माण हेतु प्रशिक्षणों का क्रियान्वयन करना ।

(42) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य की क्षेत्र में सक्रिय एवं रचनात्मक कार्य करना ।

(43) खेल विकास के क्षेत्र में सक्रिय कार्य करना ।

31377

पंजीयन क्रमांक ...
पंजीयन दिनांक ... 21/7/18
संशोधन दिनांक ...

(44) लोक कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में सक्रिय कार्य करना ।

(45) कला जत्था, नुक्कड़ नाटक, नाटक, लोक गीतों लोक नृत्यों के माध्यम से शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना ।

5) **सदस्यता** : संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे –

अ) संरक्षक सदस्य : संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में 10000/– रूपये या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह संस्था का संरक्षक सदस्य होगा ।

ब) आजीवन सदस्य : संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में 8000/– रूपये या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा । कोई भी आजीवन सदस्य रूपये . 2000/– या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है ।

स) साधारण सदस्य - जो व्यक्ति संस्था को 500/– रू. माह रूपये 6000/– प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उसने चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चंदा नहीं देगा । उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी । ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दा की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।

Sushma

Scanned by CamScanner

द) सम्माननीय सदस्य : संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझें सम्माननीय सदस्य बना सकती है । ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

इ) गोपालक सदस्यः जो व्यक्ति एकमुश्त संस्था को रूपये 501/– (अक्षरी पांच सौ एक रूपये) चंदे के रूप में देगा वह एक वर्ष अवधि के लिए गोपालक सदस्य होगा ।

6) **सदस्यता की प्राप्ति :** प्रत्येक व्यक्ति जो समिति सदस्य बनने का इच्छुक होगा । उसे लिखित रूप में आवेदन करना होगा, ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसे आवेदन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।

7) **सदस्यों की योग्यता :** संस्था के सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है ।

1. आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
2. भारतीय नागरिक हो ।
3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा करें ।
4. सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।
5. संस्था में महिला एवं पुरूष दोनों सदस्य बन सकते हैं ।

पंजीयन क्रमांक 3137
दिनांक 14/5/96
संशोधन दिनांक 28/7/16

उप पंजीयक संस्थाएं छत्तीसगढ़

8) **सदस्यता की समाप्ति :** संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थितियों में समाप्त हो जावेंगी ।

1. मृत्यु होने पर ।
2. पागल हो जाने पर ।
3. संस्था को देय चंदा की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर
4. त्याग पत्र देने और वह स्वीकार होने पर ।
5. चारित्रीक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी ।

Sushma

Scanned by CamScanner

9) संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जायेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे।

1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय ।
2) वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं. ।
3) वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त की गई हो ।
4) सदस्यों के हस्ताक्षर ।

10 अ) **साधारण सभा :** साधारण सभा में नियम 5 में बताये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे । साधारण सभा बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह अप्रैल होगा तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक को दी जावेगी । बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा । यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा ।

पंजीयन क्रमांक 31377
पंजीयन दिनांक 14/3/96

ब) **प्रबंधकारिणी सभा :** प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी। बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्या को भेजी जाना आवश्यक होगी । बैठक में कोरम 1/2 ~~सदस्यों की होगी~~ यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिए कोरम की कोई शर्त न होगी ।

स) विशेष- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी । विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयन को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्शः देने का अधिकार होगा ।

द) विशेष टीप:- समान विचारधारा एवं उद्देश्य वाली शासकीय, अशासकीय, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय दानदाता संस्थाओं, व्यक्तियों से संस्था अपने उद्देश्य अनुसार कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु दान, अनुदान, ऋण प्राप्त कर सकेगी ।

ऐसे समस्त दानदाता संस्थाओं, व्यक्तियों या उसके प्रतिनिधियों को संस्था के साधारण सभा, प्रबंधकारिणी सभा में उपस्थित होने तथा उसमें भाग लेने का अधिकार होगा ।

Sushma

Scanned by CamScanner

11) **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:**

क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।
ख) संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।
ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ।
घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हों ।
च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।
छ) बजट का अनुमोदन करना ।

12) **प्रबंधकारिणी का गठन :** नियम 5 (अ,ब,स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टरन में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधारिणों समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा ।

(1) अध्यक्ष–01 (2) उपाध्यक्ष–01 (3) सचिव–01
(4) कोषाध्यक्ष–01 (5) संयुक्त सचिव–01 (6) कार्यकारिणी सदस्य–02

13) **प्रबंध समिति का कार्यकाल :** प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक की गई प्रबंधकारिणी समिति का अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

पंजीयन क्रमांक ....
पंजीयन दिनांक ....

14) **प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य :**

अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्त हेतु व्यवस्था करना ।

ब) पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा परीक्षित किया और प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।

स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना । संस्था की चल, अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।

इ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय पर सौंपे जाए ।

घ) संस्था की समस्त चल अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी ।

छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति, रजिस्ट्रार को लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं की जाएगी ।

ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा को विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित का पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

Scanned by CamScanner

15) **अध्यक्ष के अधिकार :** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

16) **उपाध्यक्ष के अधिकार :** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा ।

17) **सचिव मंत्री का अधिकार :**

1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तत करना ।
2) समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना ।
3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना । उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।
4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 3000/– खर्च करने का अधिकार होगा ।

उप पंजीयक
संस्थाएँ छत्तीसगढ़

18) **कोषाध्यक्ष का अधिकार :** समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारणीय समिति द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

पंजीयन क्रमांक ......
पंजीयन दिनांक ......
संशोधन दिनांक ......

19) **संयुक्त सचिव के अधिकार :** सचिव की अनुपस्थिति में से सचिव कार्य करेंगे ।

20) **बैंक खाता :** संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आर्फिस में रहेगी । धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा । दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 3000/– रहेंगे ।

21) **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :** अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति को सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय नियत शुल्क के साथ भेजेगी ।

22) **संशोधन :**
यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा । संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 3/5 मतों से पारित होगा ।

Sushma

Scanned by CamScanner

23) **विघटन :**
संस्था का विघटन साधारण सभा में सदस्यों के 2/3 मत से किया जा सकेगा । विघटन के पश्चात् अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार सम्पत्ति किसी समान उद्देश्य वाली संस्था को सौंपी जावेगी ।

24) **सम्पत्ति :** संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी, संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञ को बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी ।

25) **बैंक खाता :** संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में खोला जावेगा एवं समय समय पर धन जमा करेन व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी ।

26) **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :** संस्था की पंजीयन नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फार्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

27) **विवाद:** संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा । यदि इस निश्चित या निर्णय से किसी को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे । रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा । संबंध में समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

Sushma

पंजीयन क्रमांक 31377
पंजीयन दिनांक 14/5/96
संशोधन दिनांक 21/7/18

03313 6562
300 चालान क्र. ...... दि. 27/7/18
जमा किया ...... पंजीयन क्र. 31377
दिनांक 14/5/96 द्वारा ...... संस्था की
मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है, जारी
होने का दिनांक 30/7/18

(D.D. Mahant) 30/7/18
Dy. Registrar
Firms & Societies
Chhattisgarh
30/7